महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू०वि० / प०नि०का० / एफ–3 / 2025 / दिनांकः 07.05.2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / केन्द्राध्यक्ष
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
एम०जे०पी०रू०वि०, बरेली।

विषय— विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों में शान्तिपूर्ण एवं शुचितापूर्ण परीक्षाएं सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की नई शिक्षा नीति–2020 से आच्दाछित स्नातक स्तर पर द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ्म सेमेस्टर 2025 की परीक्षाये दिनांक 08.05.2025 से प्रारम्भ हो रही है। राज्य सरकार जीरो टालरेन्स नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंतरण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1043 / सत्तर–1–2022–16(9) / 2018 लखनऊ दिनांक 08.04.2022 एवं शासनादेश संख्या उ०शि०मं० 01 / सत्तर–1–2022–16(09) / 2018, लखनऊ दिनांक 27.05.2022 एवं समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है–

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रश्नपत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा हेतु डिजिटल वाई–फाई लॉक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
2. परीक्षा के दौरान के केन्द्र प्रभारी के अतिरिक्त अन्य सभी का मोबाइल प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाये।
3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों को मानकानुसार (निर्धारित दूरी) का पालन करते हुए परीक्षा में सम्मिलित कराया जाय।
4. प्रत्येक दिन / पॉली में सम्मिलित परीक्षार्थियों की उपस्थिति / अनुपस्थित का विवरण महाविद्यालय की लॉगिन पर अपलोड़ किया जाना सुनिश्चित करें। तदानुसार उपस्थिति से शासन को प्रतिदिन अवगत कराया जा सके।
5. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03.08.2022 के संकल्प सं0 02 पर लिए गये निर्णय के अनुपालन में नई शिक्षा नीति–2020 से आच्छादित स्नातक स्तर (बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०काम०, बी०बी०ए०) द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ्म सेमेस्टर 2025 की परीक्षाये ओ०एम०आर० अधारित पैटर्न पर करायी जायेगी। उक्त परीक्षाओं के प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएगा जिसमें से छात्रों को किन्हीं 75 प्रश्नों का उत्तर 02 घण्टे के समय में देना होगा। समिति के निर्णय के कम में अब परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने से केवल 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाने की अनुमति होगी इसके पश्चात् संबंधित परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित न किया जाय।
6. केन्द्राध्यक्ष / कक्ष निरीक्षक परीक्षार्थियों से उत्तर पुस्तिका / ओ०एम०आर० शीट पर उनका विवरण ध्यानपूर्वक एंव सावधानी से भरवाये जिससे उनकी उत्तर पुस्तिका / ओ०एम०आर० शीट को स्कैन कराने पर कठिनाई न हो तथा संबंधित प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका / ओ०एम०आर० शीट के बण्डल में अन्य प्रपत्रों के साथ परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों की उपस्थिति प्रपत्र की फोटोप्रति आवश्यक रखा जाना सुनिश्चित करे।

कमशः.....2 पर

7. नई शिक्षा नीति–2020 से आच्छादित स्नातक स्तर (बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0, बी0बी0ए0) द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ्म सेमेस्टर 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियो से परीक्षा समाप्ति के पश्चात बुकलेट एवं ओ0एम0आर0 दोनों जमा करायी जानी है। जिसे पृथक–पृथक लिफाफों में सील्ड कर नोडल सेन्टर्स/संकलन केन्द्रों पर जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

8. परीक्षा समाप्ति पश्चात प्रत्येक दशा में एक घण्टे के अन्दर निर्धारित नोडल केन्द्र/संकलन केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बण्डल प्रतिदिन जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

9. आपके परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित गोपनीय प्रपत्रों पर संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की तिथि/पाली एवं समय का संशोधन का अनुपालन विशेष रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

10. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु पृथक–पृथक शौचालय (महिला/पुरुष) की व्यवस्था करें।

11. समस्त परीक्षा केन्द्र परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लें।

12. समस्त केन्द्राध्यक्ष, विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष की भाँति आयोजित होने वाली परीक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी निर्देश पुस्तिका का अध्ययन कर समुचित रूप से अनुपालन करें।

13. परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष के अतिरिक्त प्रबन्धतंत्र का अन्य कोई सदस्य महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होना चाहिए।

14. स्ट्रांगरूम की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

15. मानकानुसार कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी प्रत्येक परीक्षा कक्ष में लगायी जाये।

16. सी0सी0टी0वी0 एवं वायस रिकार्डर समुचित रूप से चालू स्थिति में रहे व रिकार्डिंग कम से कम 60 दिवसों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो।

17. अपने महाविद्यालय द्वारा डाटा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर दर्ज करें।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण की जाये। परीक्षाओं के संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, गोपनीयता, अनुचित साधनों के नियंत्रण हेतु निर्देशों के विचलन किये जाने, व्यतिक्रम होने व निर्देशों का उल्लंधन किये जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि–

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली एवं मुरादाबाद परिक्षेत्र।
4. उप कुलसचिव(गोपनीय/परीक्षा)
5. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
6. वयैक्तिक सहायक, कुलसचिव।
7. डा0 अमित सिंह, मीडिया प्रभारी
8. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।

परीक्षा नियंत्रक